Institute of Advanced Studies in Education (IASE) Bilaspur (C.G.)

M.Ed. III Semester

Subject - Educational Studies: Structure, Policy & Practice

Paper - I

Unit - IV - Educational Agencies

Topic - Ministry and other Government Agencies

Bullet - 1

Objectives - एम. एड. प्रशिक्षार्थी केन्द्र एवं राज्यों में स्थापित शिक्षा मंत्रालय एवं शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका को समझ सकेंगे।

Content - भारत सरकार द्वारा निर्धारित देश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा व्यवस्था को विकसित करने हेतु शिक्षा मंत्रालय की स्थापना की गई। केन्द्र शासन में 26 सितम्बर 1985 से 2020 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) के रूप में कार्य किया गया।

सन् 2020 से नाम परिर्वन कर शिक्षा मंत्रालय किया गया।

शिक्षा मंत्रालय की शिक्षा के विकास में भूमिका –

शिक्षा के क्षेत्र में भूमिका –

1. Educational Reform (विभिन्न समिति, आयोग स्थापित करना – विकास हेतु
2. Organisation का गठन – जैसे NCERT, NCTE, AICTE etc.
3. Planning - शैक्षिक योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन जैसे MDM
4. Direction - राज्य को शैक्षिक योजनओं को लागू करने का मार्गदर्शन।
5. Control - देश में संचालित शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट का निरीक्षण, नियन्त्रण जैसे– Curiculum Reforms, (NCF 2005) Rural Universities, text books, regional Institution etc.
6. Clearing house Role - शिक्षा क्षेत्र के कार्यों को प्रचार–प्रसार शैक्षिक जनरल्स प्रकाशन आदि।
7. Liaison with UNESCO (मेलजोल) UNESCO के साथ सहयोग से शैक्षिक सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग।
8. Opening Central Institute - Ex. National University, National Libraries, Museum, Central Schools, Advisory Bodies - etc. CABE, NCERT, UGC etc.

9. वित्तीय सहायता – छात्रवृत्ति, ऋण, सब्सिडी, वंचित वर्ग, गरीब, महिलाओं, मेरिट बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।

Grant in aids - राज्य, विश्वविद्यालय, Special Education Institution, Special Grant to - Backward State. आदि विभागों को प्रदान किया जाता है।

10. नेतृत्व – संसाधन उपलब्ध कराना / Integrated approach (for all Educational Agencies.

11. Right to Education. पूरे देश में Right to Education को गुणवत्ता पूर्ण लागू करना।

विभाग (Department) - School Education & literacy

Schemes - 1. SSA 2. RMSA (समग्र शिक्षा) 3. MDM 4. Madrasas/Minorities 5. Adults Education 6. National Mean Cum Merit Scholarship 7. National scheme for incentive to girls for secondary education 8. Natioanl Award for teachers 9. PISA - Programme for International students Assessment 10. PMS - Online Monitoring 11. Vidyanjali - A School Volunteer programme 12. Audio Visual education 13. Research 14. Publication 15. Teacher Training 16. Books 17. NAS- National Achievement survey .

Secondary Education - 1. समग्र शिक्षा 2. ICT 3. Girls Hostel 4. Model School 5. Inclusive education for disabled at secondary stage (IEDSS) 6. Incentive to Girls for S.E. 7. Adolescence Education Programme 8. Vocationalization for Sec. Education. 9. School Sanitation 10. Scheme for Infrastructure Development of Private Aided/Unaided Minority Institution (IDMI) 11. Kala Utsav.

उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education) – विश्वविद्यालय, दूर शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा

तकनीकी शिक्षा – जैसे IIT, IIM, etc.
नियोजन
यूनेस्को
एकीकृत वित्त विभाग

उच्च शिक्षा

UGC	ERDO	ICSSR	ICHR	ICPR	IIAS	Central University
	शिक्षा अनुसंधान विकास संगठन	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद	भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद	शिमला (Indian Institute of Advanced Studies)	

प्रशासन और भाषाएँ – जैसे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (RSK) केन्द्रीय हिन्दी निर्देशालय (EFLU) अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय

दूरस्थ शिक्षा और छात्रवृत्ति – IGNOU विविध– NCERT, NUEPA (राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय) NBT (National Book Trust) NBA (राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) NCMEI

(राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के लिए आयोग) NCTE, CBSE, KVS, NIOS (राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान) शिक्षकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन, NAAC ICAR (Indian Council Agricultural Research) , एवं नबवोदय विद्यालय समिति

Academic Institution

School Education

Pre Primary	Primary	Upper Primary	Secondary	Higher Secondary
आँगन बाड़ी Kinder Garten	1 से 5 तक कक्षा	6 से 8 तक कक्षा	9 से 10 तक कक्षा	11 से 12 तक कक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

(5+3+3+4)

Foundation, Stage	Primary Stage	Middle School Stage	Secondary School Stage
आँगल बाड़ी ;Pre School) (आयु 3 वर्ष) Primary (2 वर्ष) (कक्षा 1 एवं 2 री) (3 से 8 वर्ष)	कक्षा 3 से 5 तक (आयु 8 से 11 वर्ष)	कक्षा 6 से 8 तक (आयु 11 से 14 वर्ष)	कक्षा 9 से 12 तक (आयु 14 से 18 वर्ष)
बहु स्तरीय खेल गतिविधि आधारित अध्ययन ECCE पाठ्यक्रम पढ़ने,लिखने,बोलने,कला,भाषा,विज्ञान,गणित		विज्ञान, गणित, कला मानविकी, आदि	बहु विषयक अध्ययन विषयों का चुनाव लचीलापन

Govt. Educational Institute - run by Central or State Govt.

State Govt. School	Central School	Asharam School	Navodaya School	Military School	Airforce School	Sainik School

Local Body Institution

By Municipal Committees/	Corporation/	Zila Parishad/	Panchayat Smiti

Private Aided Institution (Private - receive regular maintance grant from

Govt.   Private   Un Aided Institution

धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएँ

शासकीय   गैर शासकीय

सहायता प्राप्त अल्प संख्यक संस्था   _ गैर सहायता प्राप्त निजी अल्प संख्यक संस्था

Teacher Training Institute

UGC

(Central)   (State)

(SCERT)

(NCERT) (13 Dept.)

RTE

Teacher Education Institute →   IASE   CTE

DIETS

BRC's

CRC's

Academic Institution (Higher Education)

Central Universities

व्यावसायिक विश्वविद्यालय

Institute of National Importance

Libral Art College

Deemed University

Autonomous College

Private University Trust

State University

चिकित्सा क्षेत्र, विज्ञान एवं अनुसंधान, प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान आदि शैक्षणिक संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में संचालित है।

आकलन – शिक्षा के क्षेत्र में शालेय शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में संचालित अकादमिक संस्थाओं के भूमिका स्पष्ट करें।

Institute of Advanced Studies in Education (IASE) Bilaspur (C.G.)

M.Ed. III Semester

Subject - Educational Studies: Structure, Policy & Practice

Paper - I

Unit - IV - Educational Agencies

Topic - Issues related to controlling Academic Institutions

Bullet -1

Objectives - एम. एड. प्रशिक्षार्थी अकादमिक संस्थाओं के संचालन एवं नियन्त्रण में आने वाली चुनौतियो को समझ सकेंगे।

Content - अकादमिक संस्थाओं के संचालन एवं नियन्त्रण में निम्न चुनौतियाँ आती है।

1. **वित्तीय प्रबंधन –** सुव्यवस्थित वित्तीय प्रबंधन की चुनौतियाँ का अकादमिक संस्थाओं को सामना करना पड़ता है। आबंटन की कमी एवं आबंटन की राशि का उचित प्रयोग नहीं कर पाना।

2. Communication and collaboration:- अकादमिक संस्थाओं का उच्च कार्यालयों, अधिनस्थ संस्थााओं एवं समुदाय अर्थात समस्त हितग्राही समूहों से आपसी सहयोग की कमी होती है।

3. Teacher Evaluation - अकादमिक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के शिक्षकीय कार्यों के मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं है, उनके कार्यों की प्रगति को जानने हेतु मूल्यांकन व्यवस्था करना चुनौती है।

4. Student Monitoring - विद्यालयों में विद्यार्थियों के शैक्षिक कार्यों की प्रगति, उनकी शालेय गतिविधियों में सहभागिता आदि की मॉनीटरिंग की योजना निर्मित नहीं है।

5. Classroom Behaviour Management System - (कक्षागत व्यवहार प्रबंधन तंत्र) विद्यार्थियों के कक्षागत् व्यवहार का अवलोकन हेतु कार्य योजना शालाओं में नही बनाई जाती। कक्षागत् व्यवहार का प्रबंधन कैसे किया जाए इस हेतु शिक्षकों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम किए जाए।

6. Poor Infrastructure and facilities (Learning Resources) - (शालाओं में संसाधनों की कमी) शालेय शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण विकास हेतु भौतिक संसाधनों, भवन, जल की व्यवस्था उचित होना अनिवार्य है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए अधिगम संसाधनों की संस्था में कमी है। उनकी उपलब्धता अनिवार्य है।

7. मानवीय संसाधनों की उपलब्धता – नार्म्स के अनुसार शिक्षकों की शालाओं में पदस्थापना होना आवश्यक है। ग्रामीण एवं शहरी शालाओं में शिक्षकों की अत्यन्त कमी रहती है।

8. Parental Involvement (अभिभावकों की संलग्नता) शाला की गतिविधियों को गुणवत्तापूर्ण रूप से संचालन हेतु अभिभावकों की संलग्नता आवश्यक है। घर पर बच्चों की प्रगति को जानने हेतु अभिभावकों का बच्चों से चर्चा करना आवश्यक है। शालेय कार्यक्रमों में अभिभावकों की संलग्नता को बढ़ावा आवश्यक है।

9. **उच्च कार्यालयों से संबंध** – शैक्षणिक संस्थाओं को शैक्षिक योजनाओं के क्रियान्वित करने, मॉनीटरिंग करने शालेय समस्याओं के निराकरण हेतु संसाधनों की उपलब्धता हेतु उच्च कार्यालयों से सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है जिसकी अत्यन्त कमी है।

10. **शैक्षणिक संस्थाओं में व्यवस्थित प्रबंधन की कमी** – स्व अनुशासन, समय प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन संस्था प्रमुख एवं स्टाफ के मध्य अन्तःक्रिया एवं सुनियोजित शालेय वातावरण हेतु प्रबंधन की आवश्यकता होगी। नेतृत्व क्षमता का सही दिशा में पालन करना।

11. शैक्षणिक संस्थाओं की सुरक्षा की कमी होती है। सुरक्षा नियमों का पालन आवश्यक है।

12. शैक्षणिक संस्थाओं में कक्षा का आकार नार्म्स से अधिक होता है। कक्षा में निर्धारित सीमा से अधिक बच्चों की संख्या रहती है।

13. ICT का उचित प्रयोग नहीं होना संस्था में ICT की उपलब्धता की कमी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में Online classes का सुचारू रूप से संचालन का नहीं हो पाना।

14. शैक्षिक योजनाओं का उचित ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाना।

15. समुदायिक सहभागिता की कमी – पारिवारिक कारण भी प्रभावित करते हैं।

16. स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता की कमी।

- विद्यार्थियो के कक्षागत व्यवहार को शिक्षक को समझना होगा, किशोरो के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। शिक्षक को बच्चों के उनके सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भ से समझना होगा।
- शैक्षणिक संस्थाओं में निर्धारित की गई शैक्षणिक समितियों के मध्य आपसी संबंध स्थापित करना आवश्यक है। उनको अपने विभागों के कार्यों को समय प्रबंधन के अनुरूप पूर्ण करना आवश्यक है।
- बच्चों के प्रवेश न लेना, अनियमित उपस्थिति, शाला त्यागना आदि कारक शाला की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने में बाधा डालते है।
- शालेय पाठ्यक्रम को वार्षिक कैलेण्डर बनाकर शिक्षकों को नियमित रूप से योजना बनाकर पाठ्यक्रम को रूचिकर ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बच्चों के स्तर के अनुकूल बनाना होगा ताकि पाठ्यक्रम का उचित प्रबंधन हो सके।

- Learning outcome के अनुरूप कक्षा शिक्षण प्रक्रिया का संचालन करने में शिक्षक रूचि नहीं लेते। अतः शिक्षकों को नवाचारी शिक्षण प्रक्रिया हेतु उन्मुखीकृत करना है।
- Online Official Process - शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षिक एवं कार्यालयीन कार्यों का डिजिटल रूप दिया जा रहा है। इस हेतु शिक्षकों एवं कर्मचारियों को उन्मुखीकरण नहीं हो पाता एवं उनमें जागरूकता की कमी है।

शैक्षणिक संस्थाओं की निजीकरण की अधिकता

- मूल्य आधारित शिक्षा की कमी, बच्चों को विषय आधारित शिक्षण के साथ मूल्यों को विकसित करने हेतु प्रेरित किया जाए।
- शैक्षणिक संस्थाओं में शोध कार्यों की कमी है। शिक्षकों को शोध कार्य करने हेतु जागरूक करना। शोध कार्य हेतु उन्मुखीकरण की आवश्यकता है।
- शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत अकादमिक स्टाफ अन्य कर्मचारी की जावबदेही की कमी देखी जाती है। व्यवसायिकता की भावना को विकसित करना होगा।
- समस्त शैक्षिक, वित्तीय एवं प्रशासकीय कार्यों में पारदर्शिता होना आवश्यक है।
- शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन में कार्यों को सुचारू रूप से संचालन में विकन्द्रीकरण की कमी पाई जाती है।
- शैक्षणिक संस्थाओं के कार्यों को योग्यतानुसार विकेन्द्रिकृत किया जाए।

आकलन – शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन में कौन–कौन सी कठिनाईयाँ आती है।

Institute of Advanced Studies in Education (IASE) Bilaspur (C.G.)

M.Ed. III Semester

Subject - Educational Studies: Structure, Policy & Practice

Paper - I

Bullet - 2

Unit - IV - Educational Agencies

Topic - Role of NGO's in School Education

Objectives - एम. एड. प्रशिक्षाथियों को शिक्षा के क्षेत्र में NGO's की भूमिका के संबंध में समझ विकसित होगी।

Content - Role of NGO's in School Education
1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ U.N. के चार्टर के अध्याय 10 के अनुच्छेद 71 में NGO's की चर्चा हुई।

NGO's - ऐसे संगठन जो सरकारी नही है। समाज में व्यक्तियों द्वारा बनाए गए विधिवत् संगठित गैर सरकारी संगठन है। NGO's सरकार/शासन के प्रभाव से स्वतंत्र परन्तु वे Govt. Funding प्राप्त करते हैं।

NGO's की स्थापना का उद्देश्य :– समाज में व्यक्तियों की अच्छाई, रूचि सुविधा के लिए सेवा करना, व्यक्तियों के हित के लिए बिना किसी लाभ के सेवा प्रदान करना है।

NGO's का प्राथमिक उद्दश्येय समाज के वंचित वर्गों के कारकों का समर्थन करके बड़े पैमाने पर समाज की सेवा करना है।

- सरकार और आम–जनता के बीच मौजूद अंतर को पाटने में मदद करते हैं, जो बुनियादी जरूरतों से रहित है।
- समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान, बाल शिक्षा और कल्याण और देश में स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार का कार्य करना।
- गरीबों के लिए भोजन, रोजगार, संस्कृति, कला, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। जिससे नागरिकों हेतु न्यायपूर्ण समाज के विकास में मदद मिले।

NGO's की भूमिका :–

- गरीबी उन्मूलन, भोजन, स्वच्छ पेयजल, जरूरतमंद लोगों की मदद, मानवाधिकार उल्लघन, मानधिकार उत्पीड़न को कानूनी सहायता देना।

- सार्वजनिक संबंध – जनता के साथ स्वच्छ संबंध बनाना, जन सम्पर्क अभियान चलाना। स्थानीय क्षेत्र की गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न रहना।
- शासकीय योजनाएँ को आवश्यकतानुसार समुदाय तक पहुँचाना, जहाँ योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता उनके लिए ब्रिज का कार्य करना। जैसे पलायन करने वाले व्यक्तियों/उनके बच्चों को शासकीय योजनाओं के अवसर प्रदान करना।
- समाज में समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करना एवं उनका निराकरण करना, शासन को समस्याओं से अवगत कराना। जैसे – Gender issues, Human Labour Rights, Health care, diversity, environmental education, legalaid, women Empowerment etc
- Advisory as a Social Mediator - समाज के व्यक्तियों के दृष्टिकोण को सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप बदलने का कार्य करना। जैसे – अंध विश्वास, पर्दाप्रथा आदि रूढ़िवादी विचारधाराओं से मुक्त करने का उत्प्रेरक का कार्य करना, परिवार को शिक्षित करने हेतु जागरूक करना। बच्चों की शिक्षा के लिए प्रेरित करना -।
- Role in Participative Governance - Civil Society के हित में जो कानून बने उसका सही क्रियान्वयन करना जैसे शिक्षा के क्षेत्र में Right to Education Act 2009, Mid day Meal Programme, Forest Right Act 2006, Right to Information Act, Environmental Act 1986 etc. उनका सही ढंग से अनुपालन हो सके समाज में जागरूकता अभियान चलाना। स्व–सहायता समूह के रूप मे समाज के हित के लिए स्थानीय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य करना।
- कमजोर वर्ग के लोगों के उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारकों का प्रभाव उनके जीवन पर किस प्रकार पड़ता है इसके लिए उनको जागरूक करना। योजनाओं का लाभ कैसे लिया जाए, उनके लिए जागरूकता अभियान चलाना।
- गैर सरकारी संगठन विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के रूप में कार्य करते हैं, लोगों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं – विकास, शिक्षा और व्यवसायीकरण विकास की सुविधा प्रदान करते है।

दिगन्तर शिक्षा एवं खेलकूद समिति–

1978 में ग्रामीण बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा हेतु प्रारमभ किया गया। इस संगठन का उद्द्येश्य बच्चों को स्वप्रेरित एवं स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में विकसित करना। बच्चों को Critical thinking करने का शैक्षिक अवसर प्रदान करना।

दिगन्तर संस्था द्वारा शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

1.दिगन्तर विद्यालयों का संचालन।

2.शिक्षा विमर्श पत्रिका (शिक्षा के सिद्धान्त एवं प्रयोग से संबंधित)

3.TARU - Development of Academic Resources.।

4.Several Government programme as a resources support agency. |
5.Alternative school programme. -
6.Lok Jumbish Sahaj shiksha karyakram. |

(2) छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित (NGO)

1. संपर्क फाउन्डेशन – अंग्रेजी और गणित की किट प्राथमिक स्तर पर बच्चों को बांटी जाती है।
2. बीबी की फुल ऑन निक्की – आडियो प्रोग्राम के जरिए बच्चों को बेहतर पढ़ाने पर जोर दे रहे हैं।
3. मेज–जोल– यह संस्था बच्चों के बाल केबिनेट को सशक्त करने का काम करती है।
4. प्रथम संस्थान – प्राथमिक शालाओं में बच्चों के उपलब्धि स्तर की जांच की जाती है। Every Child in school and Learning well. वंचित बच्चों के सुधार के साथ–साथ उनके लिए पूर्व स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करना।
5. एकलव्य संस्था – छ.ग. राज्य के डाइट्स में पेडागॉजी की समझ प्रशिक्षार्थियों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों में विकसित हो सके इस हेतु कार्य करना।
6. एल एल एफ – लैंग्वेज फांउडेशन – प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। सार्टिफिकेट कोर्स
7. ई जंकशन – दिव्यांग बच्चों को मोबाईल बांटना।
8. आर. टी. ई. वॉच – शालाओं में RTE के नियमों पर शालाओं में क्रियान्वयन किस प्रकार हो रहा है इसका मूल्यांकन किया जाता है।
9. विद्याभवन सोसायटी – छ.ग. राज्य में SCERT में विभिन्न कक्षाओं के पुस्तक लेखन कार्य में सहयोग देना।
10. इंडिया एजूकेशन कलेक्टिव – महासमुंद एवं बस्तर में यह संस्था classroom pedagogy को विकसित करने हेतु कार्य कर रहे हैं।
11. शिक्षार्थ – अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा सुधारने में संलग्न।

CRY - बाल अधिकार – भोजन, शिक्षा स्वास्थ्य 1979 – मुम्बई, कलकत्ता, बेंगलुरू |

Help Age India - 1978 – देश में वृद्धों, बुजुर्गों के सामाजिक कल्याण और अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत।

सरगम संस्था – (1986 लखनऊ) कमजोर वर्गों, वंचित वर्गों की मदद।

गूंज – (GOONJ) Voice, an effort गरीबों को उनके कपड़ों की बुनियादी जरूरत पूरा करना 1999– नई दिल्ली

SAMMaan Foundation - गरीबी रेखा से नीचे लोगों को बेहतर आय रोजगार के अवसर हेतु जागरूकता लाना (2007)

LEPRA Society - HIV मलेरिया, कुष्ठ रोगों पर जागरूकता कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य की देखभाल सामाजिक भेदभाव के खिलाफ।

EK Lavya Bhopal - 1982 शिक्षा के क्षेत्र में Hoshgabad Experiment, Kishore Bharti Programme, Social Science Programme (1986) Chakmak - Magazine - age - 14 Curriculum, Research and Material development, prashika - Curriculum Developement class 1 to V Child development, language learning development mathematical ability.

यूनिसेफ –छ.ग. राज्य में शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण विकास हेतु शिक्षा के विभिनन आयामों में यूनिसेफ द्वारा विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। श्री अरविन्द सोसायटी – छ.ग. राज्य में शिक्षा व्यवस्था को विकसित करने हेतु कार्यरत्।

Learning Link Foundation - Science, Maths, Language पाठ्यक्रम में बच्चों में समझ विकसित करने का कार्य। संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना।

Room to Read - प्राथमिक शाला के बच्चों के लिए विषय सामग्री को कहानी के माध्यम से तैयार करना। सामग्री उपलब्ध कराने एवं पुस्तकालय की व्यवस्था करना।

अजीज प्रेम जी फाउन्डेशन– शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल के विकास में सहयोग देना उन्मुखीकरण करना।

इंडस एक्शन – RTE के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों का 25 प्रतिशत प्रवेश संबंधी जानकारी एवं प्रोत्साहन।

अन्य NGO's

Smile - छोटे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार के क्षेत्र।

Nanhikali - for the Girls Child. देश में बालिकाओं की शिक्षा देने 1996 आनंद महिन्द्रा

आकलन – छ.ग. राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत NGOs की भूमिका स्पष्ट करें।

Institute of Advanced Studies in Education (IASE) Bilaspur (C.G.)

M.Ed. III Semester

Subject - Educational Studies: Structure, Policy & Practice

Paper - I

Unit - IV - Educational Agencies

Topic - Civil Society Groups - Participation in School Education
Role of NGO's in School Education

Bullet -2

Objectives - एम. एड. प्रशिक्षार्थी विद्यालय के गुणवत्तापूर्ण विकास में Civil Society Groups की भूमिका को समझ सकेगें।

Civil Society Groups - Participation in School Education

Civil Society Groups के अन्तर्गत – Charities Groups, NGOs, Community Groups, Women Organisation, Professional association, trade unioun, Social movement, Advocacy Groups, Cultural Institution, activities Groups, Club, Consumer Organisation Cooperations etc.

भूमिका–

Civil Society Movement - Chipko, protection of trees, Aravali Bachao, Narmada Bachao Abhiyan, स्वच्छ पानी, जल बचाओ

भारत के स्वच्छता अभियान को गति देने में C.S.G. की मुख्य भूमिका है।

- स्वच्छता पखवाड़ा – समुदाय को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण योगदान।
- C.S.G. के द्वारा विद्यालय का संचालन, स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान
- जनता को अधिकारों के लिए जागरूक करना।
- नागरिकता की भावना जागृत करने हेतु स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को अभिप्रेरित करना, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, पर्यावरण आदि।
- सरकार के द्वारा मानव अधिकार के प्रति किए जाने वाले कार्यों का अनुपालन कराने में योगदान करना।
- लोकतन्त्र की रक्षा देश के विकास हेतु किए जाने वाले कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही हेतु जागरूकता लाना।
- Conservation of Nature and biodiversity
- कमजोर वर्गों को उत्पीड़न से बचाव हेतु कार्य।
- Basic human Needs की पूर्ति में सहायता

- व्यक्तिगत एवं सामुहिक अधिकारों की रक्षा – अभिव्यक्ति, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वतन्त्रगत। जीवन का अधिकार आदि की सुरक्षा को बढ़ावा देना। विविधता की रक्षा करना।
- Anticorruption movement -
- Womens - Maternal Health scheme-
- जनभागीदारी, SMCS - का शिक्षा में योगदान
- Mid day Meal मॉनीटरिंग, नियमितिकरण
- ICDS Scheme - का लाभ पहुँचाना, (समन्वित बाल विकास योजना) – पोषण, शैक्षिक भागीदारी
- Livelihoods and skills - व्यावसायिक कौशल
- छ.ग. विकलांग मंच – निःशक्त बच्चों की देखभाल एवं सरकारी योजनाओं का संचालन उचित ढंग से कराना– सबको लाभ पहुँचाना।

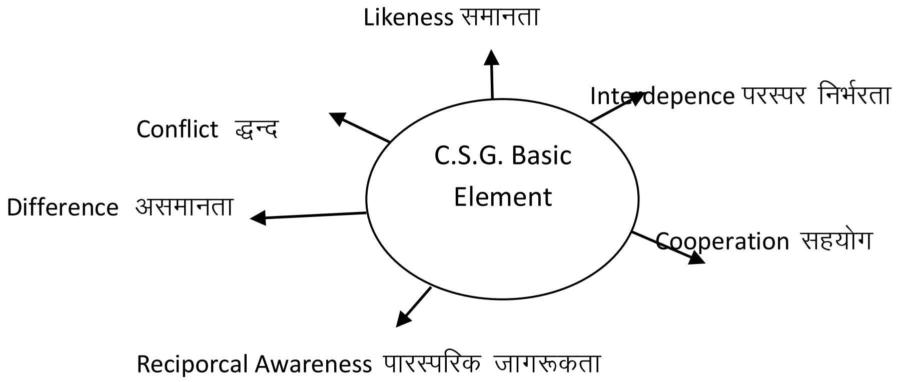

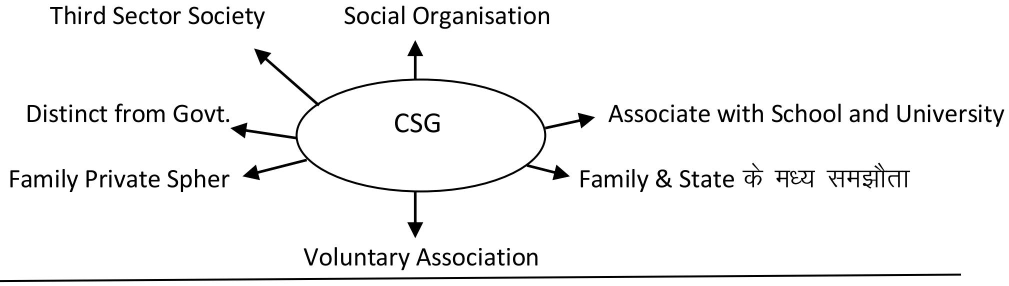

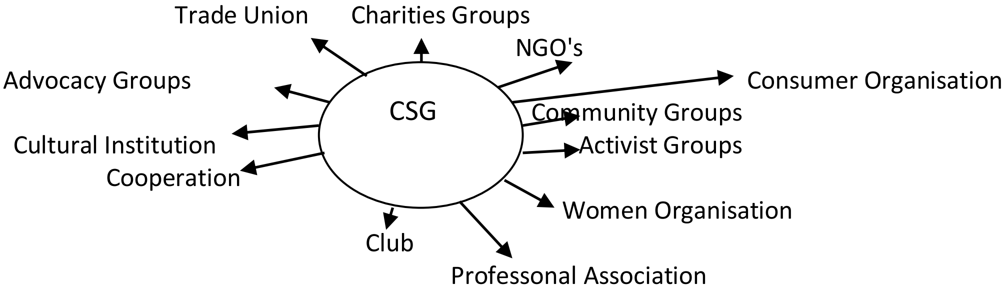

Institute of Advanced Studies in Education (IASE) Bilaspur (C.G.)

M.Ed. III Semester

Subject - Educational Studies: Structure, Policy & Practice

Paper - I

Unit - IV - Educational Agencies

Topic - Family and Local community - Involvement in School

Objectives - एम. एड. प्रशिक्षार्थी शाला में परिवार और समुदाय की भूमिका से अवगत हो जाएंगे।

Family and Local community - Involvement in School

जब परिवार एवं समुदाय के सदस्य बच्चों के सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में संलग्न होते हैं, तो बच्चों की अकादमिक performance में विकास होता है। उनके सफलता में सहयोग यदि माता–पिता देते हैं, तो बच्चे विश्वासपूर्वक विद्यालय में बने रहते हैं, और शैक्षिक कार्यो में स्वयं को संलग्न रखते हैं।

- परिवार एवं समुदाय के सहयोग से शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होती है।
- बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि विकसित होती है।
- शाला त्यागी बच्चों की संख्या में कमी आती है।
- शाला प्रवेश बच्चों की संख्या बढ़ती है।
- परिवार बच्चों की घर पर बच्चों के द्वारा किए जाने वाले गृह कार्यों की मॉनीटरिंग करते हैं, तो बच्चों को स्व अध्ययन की आदत पड़ती है। बच्चों को घर पर Learning enviornment मिलता है।
- बच्चों की नियमित उपस्थिति होती है।
- बच्चे मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक रूप से सशक्त होते हैं, जिससे वे किसी भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं।
- परिवार बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक स्रोत होते हैं।

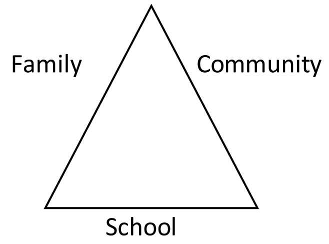

परिवार, समुदाय एवं स्कूल तीनों में आपसी सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। तीनों का आपसी संबंध सुदृढ़ रहना चाहिए। विद्यालय का पाठ्यक्रम भी समुदाय की आंकाक्षाएं जीवन के आदर्शों reflect करने वाला होना चाहिए।

विद्यालय भी समुदाय की भावना, मूल्य, समुदाय के व्यवहार का आइना है।

परिवार, समुदाय एवं विद्यालय में समन्वय स्थापित हो सके इस हेतु निम्न कार्य करना उचित होगा।

- विद्यालय में अभिभावकों को विभिन्न गतिविधियों में संलग्न करने का अवसर प्रदान करना।
- कक्षाकी गतिविधियों को अभिभावक को संलग्न करना जैसे मूलयांकन प्रक्रिया, कक्षा अवलोकन आदि।
- शिक्षक अभिभावक संघ निर्मित करना एवं नियमित बैठकें आयोजित कर शैक्षणिक क्रियाकलापों की प्रगति से अभिभावक एवं समुदाय के सदस्यों को अवगत करना।
- शिक्षक को अपने कक्षा में बच्चों हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं अपेक्षाओं को अभिभावक से साझा करना।
- व्यक्तिगत रूप से अभिभावक के साथ सम्पर्क करना।
- शिक्षक यह पता लगाये कि अभिभावक किन–किन क्षेत्रों में स्वंय रूचि लेते हैं। उनकी रूचि को बढ़ावा देना।
- शालेय गतिविधियों में अभिभावक सहभागी बने जिससे शाला का सीखने का वातावरण सकारात्मक हो।
- अभिभावक भी बच्चों के लक्ष्य को प्राथमिकता देवें।
- शाला में अभिभावक भी Learning Resources प्रदान कर सकते हैं। शाला सुधार कार्यक्रम हेतु अपना मार्गदर्शन प्रदान करें।
- परिवार एवं समुदाय के सदस्य स्वेच्छा से शाला में अपनी शैक्षिक योग्यतानुसार पढ़ाई में सहायता कर सकते हैं। अर्थात
- Non profit parternership करें।
- शाला में public private parternership से शाला का विकास करने का प्रयास किया जाए।
- अभिभावक एवं समुदाय के लिए शाला की गतिविधियों की जानकारी हेतु News letter बनाएं, समाचार पत्रों में प्रकाशित करें। छोटे–छोटे विडियो बनाकर अभिभावक को भेजें। समस्याओं को साझा करें।
- विद्यालय भी अभिभावक को बच्चों के पाठ्यक्रम का साझा करें उनकी tutorial class ले सकते हैं।
- Educational parternship के रूप में परिवार, विद्यालय एवं समुदाय कार्य करें।

शाला एवं समुदाय के सहयोग के लिए शाला एवं समुदाय मिलकर शाला समुदाय समिति का निर्माण करें।

आकलन :– शालेय शिक्षा के विकास में जन भागीदारी समिति की भूमिका स्पष्ट करें।

Institute of Advanced Studies in Education (IASE) Bilaspur (C.G.)

M.Ed. III Semester

Subject - Educational Studies: Structure, Policy & Practice

Paper - I

Unit - IV - Educational Agencies

Topic - Teacher Organisation

Bullet - (2)

Objectives - एम. एड. प्रशिक्षार्थी विद्यालयीन शिक्षा के गुणवत्तावूर्ण विकास में शिक्षक संगठन के योगदान को समझ सकेंगे।

<u>शिक्षक संगठन का उद्देश्य</u>

- शिक्षा, शिक्षक एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक हित के लिए कार्य करना।
- शिक्षा, शिक्षक एवं विद्यार्थियों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना, समस्याओं के निराकरण के लिए सुझाव/हल प्रस्तुत करना एवं उनका निराकरण करना।
- शिक्षा के विस्तार एवं विकास में सहयोग देना।
- शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता विकसित करने में सहयोग देना।
- छात्र एवं शिक्षकों के हितो की रक्षा करना।
- राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय/विषयवार शिक्षक संगठनों के साथ शिक्षा के विकास एवं समस्याओं के निराकरण में समन्वय स्थापित करना।
- राष्ट्रीय समस्याओं पर चिंतन करना एवं विचार कर निर्णय करना।
- समस्त शिक्षक समाज एवं विद्यार्थियों के मध्य राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना एवं राष्ट्रहित के शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करना।

<u>शिक्षक संगठन की भूमिका–</u>

- राष्ट्रहित, शिक्षक हित एवं छात्र हित में संगठन के सदस्यों द्वारा विचार विमर्श कर शासन एवं शिक्षा विभाग को रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत करना।
- लोकतान्त्रिक तरीके से संगठन के सदस्यों को कार्य करना।
- शिक्षक, छात्र एवं शिक्षा के क्रमिक विकास हेतु सरकार और विभाग के मध्य एक ब्रिज का कार्य करना।
- शिक्षण कार्य में बाधक तत्वों को समाज और शासन के समक्ष प्रस्तुत करना।

- शिक्षा की गुणवत्ता के लिए नीतियाँ बनाना एवं इसमें शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित करना।
- शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अनुभवी, कुशल, नवाचारी एवं कर्मठ शिक्षकों को संगठन द्वारा समाज के समक्ष लाना उनको अवसर प्रदान करना।
- शासन की शिक्षा के क्षेत्र में लागू विभिन्न योजनाओं का शिक्षा हित में क्या उपयोग हो रहा है और कितना सहयोग है, इसका प्रचार प्रसार समाज एवं अभिभावकों को करना।
- शिक्षा, शिक्षक एवं विद्यार्थी के हित में किए गए नवाचार/सुझाव/सुधार कार्य यदि संगठन द्वारा किया जाता है, तो उसका ड्राफ्ट शासन के समक्ष प्रस्तुत करना।
- शिक्षा विभाग द्वारा जारी पाठ्यक्रमों/पाठ्यचर्या पर समीक्षा करना एवं कक्षावार, विषयवार विषय वस्तु के आधार पर समीक्षा रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करना।

कोठारी कमीशन की अनुशंसाएँ–

- शिक्षक संगठन द्वारा शिक्षकों की सामाजिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक एवं आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना।
- शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता को विकसित करने हेतु राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमीनार, वाद–विवाद, शोध कार्य आदि में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना।
- शिक्षकों की व्यावसायिक रूचि उनकी व्यावसायिक संतुष्टि का ध्यान रखना।
- विषयवार शिक्षक संगठन निर्मित कर शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना।
- शिक्षक संगठन के सदस्यों को आचार संहिता के अनुरूप कार्य करने हेतु प्रेरित करना।

NPC - 1986 की अनुशंसाएँ–

- राष्ट्रीय स्तर के संगठन व्यावसायिक आचार संहिता का निर्माण करें एवं शिक्षकों को पालन करने हेतु जागरूक करें।
- शिक्षकों के अधिकार एवं उनके गौरव की रक्षा करें।
- शिक्षकों को स्वंय अपनी व्यावसायिक विकास हेतु प्रेरित करना।
- शिक्षक संगोष्ठी, short term course, inservice teacher training, orientation programme, workshop, publication आदि शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से सम्मेलन के माध्यम से शिक्षकों को जागरूक करना।
- शोध कार्यों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक योजनाओं, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना।
- शैक्षिक साहित्य का लेखन एवं प्रकाशन।

- Interdisciplinary association शिक्षक संगठन को सम्मेलन में आमन्त्रित कर अपने–अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना।
- पाठ्यक्रम विकास में सहायता करना/पत्रिका प्रकाशन
- परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन कार्य में सहयता करना।
- आचार संहिता का पालन करना।
- प्रत्येक शिक्षक समाज, विद्यार्थी के प्रति जवाबदेह रहे।
- ईमानदारी से कार्य करने हेतु प्रेरित करना।
- शिक्षकों के कल्याण एवं सेवा आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से सहयोग करना।
  उदाहरण – क्षेत्रीय, संस्थागत, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक संगठन कार्य करते हैं।
  DUTA - Delhi University of Teacher Association
  All India Federation of University and college teacher organisation.
  All India Asso. of Educational Research.
  All India Asso. of Science Teacher.
  All India Asso. of Teacher Educators.

आकलन – शिक्षक संगठन का विद्यालयीन शिक्षा के गुणवत्तापुर्ण विकास में योगदान को स्पष्ट करें।

Institute of Advanced Studies in Education (IASE) Bilaspur (C.G.)

M.Ed. III Semester

Subject - Educational Studies: Structure, Policy & Practice

Paper - I

Unit - IV - Educational Agencies

Bullet - (3)

Topic - Monitoring and Evaluation of schools

Objectives - एम. एड. प्रशिक्षार्थी शालाओं में गुणवत्ता सुधार हेतु मॉनीटरिंग की प्रक्रिया को समझ सकेगें।

Content - Monitoring and Evaluation of school

शैक्षणिक संस्थाओं ने शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार मॉनीटरिंग की प्रक्रिया द्वारा लाया जा सकता है। किसी शैक्षणिक संस्था की मॉनीटरिंग की प्रक्रिया उस संस्था के सदस्यों द्वारा, स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर एवं अन्य आदि के टीम सदस्यों द्वारा की जाती है। विद्यालयों द्वारा अपनी आवश्यकताओं, क्षमता एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर संस्था के सदस्यों, उच्च कार्यालय से चर्चा उपरान्त School Improvement Programme बनाया जाता है। School Improvement Programme के विश्लेषण का आधार विद्यालय की मॉनीटरिंग प्रक्रिया होती है। संस्था के मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन के पश्चात ही शाला हेतु दीर्घ अवधि एवं लघु अवधि के सुधार की योजना बनाई जाती है, जिससे शालेय व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण सुधार किया जाता है।

शालेय मॉनीटरिंग प्रक्रिया में निम्न गतिविधियाँ सम्मिलित होती है।

- कक्षा स्तर के आधार पर विद्यार्थियों की निर्धारित दक्षताओं की प्रगति एवं उपलब्धि के स्तर की जानकारी प्राप्त होती है।
- शालओं में पाठ्यक्रम की स्थिति एवं उनका क्रियान्वयन, शालेय गतिविधियाँ, प्रोजेक्ट कार्य, सम्पूर्ण शालेय सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति का आकलन।
- शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नार्म्स के अनुरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूलयांकन।
- शालेय प्रबंधन का मूल्यांकन।
- शालेय प्रबंधन मे बाधा डालने वाले समस्याओं का मूल्यांकन।
- **शाला के कार्य निष्पादन की प्रगति का मूल्यांकन (निम्न बिन्दुओं के आधार)**
- शालाओं में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या।

- शालाओं में बच्चों की पहुँच सब बच्चों के लिए शिक्षा की पहुँच हो।
- प्रतिधारण दर जिस बच्चे ने शाला में प्रवेश लिया है वह बच्चे शाला में बने रहें।
- प्रत्येक बच्चे अपनी शालेय शिक्षा पूर्ण करे प्राथमिक से हायर सेकेण्डरी शिक्षा पूर्ण करें।
- बच्चों की उपलब्धि स्तर विकसित हो।
- शाला से वंचित एवं शाला त्यागी बच्चों की स्थिति का मूल्यांकन।
- **शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु संस्था के कार्य निष्पादन की मॉनीटरिंग निम्न बिन्दुओं के आधार पर करना।**
- शैक्षिक पाठ्यक्रम का प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन।
- शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सहभागिता एवं उनका निष्पादन।
- बच्चों को अधिगम संसाधन की उपलब्धता।
- बच्चों की अधिगम प्रतिफल की प्राप्ति का मूल्यांकन।
- **शिक्षकों का कार्य निष्पादन (Teachers Performance) की मानींटरिंग**
- शिक्षकों की अपने विषयों में दक्षता। शिक्षकीय क्षमता का मूल्यांकन
- शिक्षण योजना का प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन। उचित शिक्षण
- तकनीकी का प्रयोग का आकलन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास
- ICT के प्रयोग का मूल्यांकन
- कक्षागत व्यवहार (शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य अन्तःक्रिया)
- शिक्षकों की स्वयं की क्षमता विकास हेतु faculty development programme में सहभागिता
- **शालेय वातावरण, भौतिक संसाधनों की उपलब्धता, उनका उचित प्रयोग शालेय संसाधनों के उचित प्रबंधन की मॉनीटरिंग**
- कक्षा में विद्यार्थियों का उचित अनुपात हो।
- विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता
- संस्था में प्रयोगशाला, उपकरण, पुस्तकालय, खेल का मैदान, खेल सामग्री, शौचालय, खुले हवादार कक्ष, फर्नीचर, कम्प्यूटर आदि संसाधन विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शाला में उपलब्ध हो।
- शालेय वातावरण बच्चों के लिए अनुकूल हो, शिक्षकों का व्यवहार मित्रवत् हो मॉनीटरिंग द्वारा इसका मूल्यांकन करना।
- **मानव संसाधन का प्रबंधन – मॉनीटरिंग के बिन्दु**
- संस्था के समस्त अकादमिक एवं कार्यालयीन स्टाफ की कार्यक्षमता संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप संस्था का प्रशासन, प्रबंधन एवं संगठन का प्रभावशाली ढंग से संचालन व्यवस्था की मॉनीटरिंग

- वित्तीय प्रबंधन की मॉनीटरिंग
- सामुदायिक सहभागिता– अभिभावक, समुदाय के सदस्यों की संस्थागत गतिविधियों में सहभागिता, सुधार कार्यक्रम में सहयोग, बच्चों की प्रगति में समुदाय की सहभागिता आदि आयामों के संदर्भ में मॉनीटरिंग
- शाला एवं उच्च कार्यालयों के मध्य प्रबंधन
- शाला में स्वास्थ्य सुविधाओं का मूल्यांकन
- **मॉनीटरिंग प्रक्रिया में उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण**
  1. अवलोकन 2. प्रश्नावली 3. अनुसूची 4. साक्षात्कार 5. समूह चर्चा 6. कक्षा बन्धन मापनी 7. शिक्षकीय दक्षता मापनी 8. शालेय अभिलेख – विद्यार्थियों का Enrollement Register, Attendance Register, School Result Register, Student Progress Report शाला में समस्त विभागों के अभिलेख आदि उपकरणों के माध्यम से मानीटरिंग प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है।

  शालेय मानीटरिंग प्रक्रिया द्वारा शाला के गुणवत्तापूर्ण विकास में उत्तरोतर वृद्धि होगी।

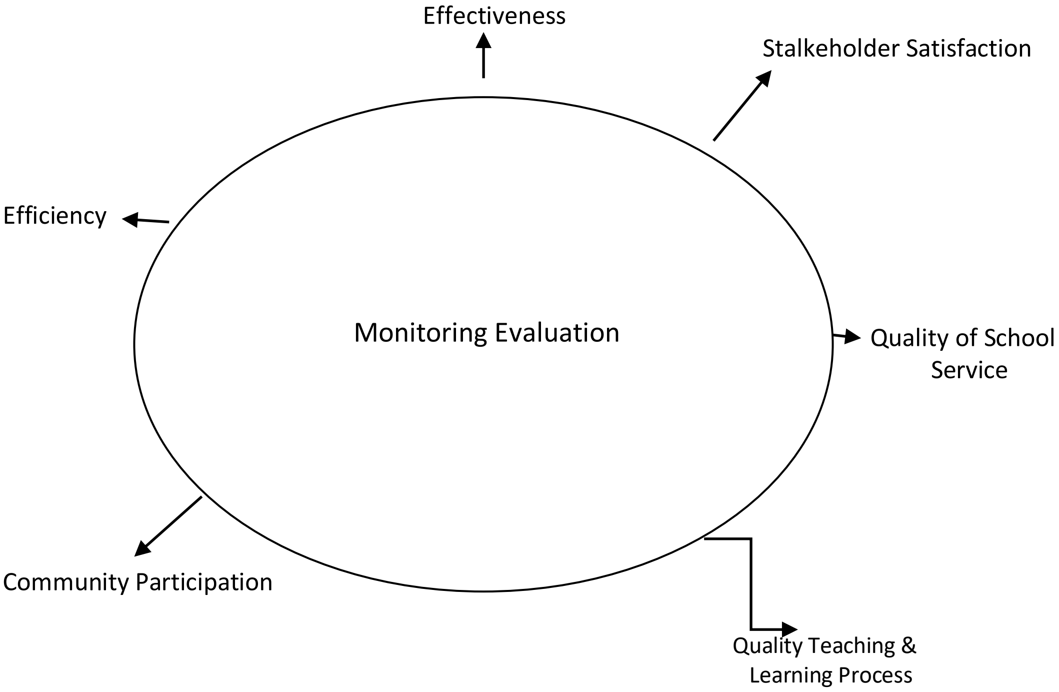

आकलन – शालेय मानीटरिंग प्रक्रिया के performance Indicator कौन–कौन से हैं। मानीटरिंग प्रक्रिया की समीक्षा करें।

Institute of Advanced Studies in Education (IASE) Bilaspur (C.G.)

M.Ed. III Semester

Subject - Educational Studies: Structure, Policy & Practice

Paper - I

Unit - IV - Educational Agencies

Topic - Constitutional provision od Education

Bullet - (5)

Objectives - एम. एड. प्रशिक्षार्थी संवैधानिक प्रावधानों में शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ करने हेतु अनुशंसित प्रावधानों की समझ विकसित होगी।

Constitutional Provision of Education

भारत गणराज्य के संविधान में तीन अलग–अलग सूचियाँ है।

1. संघ सूची (Union list)
2. राज्य सूची (State list)
3. समवर्ती सूची (Concurrent list)

1. प्रारम्भ में शिक्षा प्रान्तीय सूची में थी।
   1976 में में 42 वें संविधान संशोधन (Constitution revision) द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया।
2. अनुच्छेद 45 में संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश शासन को दिया था।
3. निः शुल्क अनिवार्य शिक्षा – सन 2002 के 86 वे संशोधन अधिनियम Constitution revision के अनुसार अनुच्छेद 21 A जोड़ा गया। राज्य 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निः शुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। माता–पिता का कर्तव्य होगा कि बच्चों को शिक्षा का अवसर देवें।
   2009 – Right to Education Act.
4. शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के समान अधिकार संविधान के अनु. 29 (2) यह व्यवस्था की गई – राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षा, संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश अथवा जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।

5. स्त्री शिक्षा की विशेष व्यवस्था– संविधान के अनुच्छेद – 15(3) में यह व्यवस्था की गई कि इस अनुच्छेद की किसी भी बात से राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई उपबन्ध बनाने में काई बाधा नही होगी।
6. समाज के कमजोर वर्ग जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों तथा पिछड़े वर्ग कि बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष व्यवस्था अनुच्छेद 46 से की गई, एवं इसमें सामाजिक अन्याय और सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।
7. अनुच्छेद–(21) द्वारा जीवन तथा व्यक्ति स्वतन्त्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया।
8. अनुच्छेद (28) – राजकीय शिक्षा संस्थानों में धर्म की शिक्षा को निषेध करने के साथ सहायता एवं मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में दी जा रही धार्मिक शिक्षा में अनुपस्थित रहने की स्वतन्त्रता विद्यार्थी को देता है।
9. अनुच्छेद (29) – भारत के सभी नागरिकों को भाषा, लिंग व संस्कृति को संरक्षित करने के साथ ही धर्म मूलवंश जाति या भाषा के किसी भेदभाव के बिना किसी भी शिक्षा संस्थान में भर्ती होने का अधिकार देता है।
10. अनुच्छेद (41) – में राज्य को उसकी आर्थिक सामर्थ्य व विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए शिक्षा पाने में नागरिकों की सहायता देने को कहता है।
11. अनुच्छेद – (24) 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों या जोखिम वाले कार्यो में लगाना दण्डनीय है।
12. अनुच्छेद 30(1) – शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अर्थात कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसन्द की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे किसी भी प्रकार का अनुदान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी।
13. अनुच्छेद 30(2) – शिक्षा संस्था को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरूद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग का है।
14. अनुच्छेद (343) – संघ की राजभाषा हिन्दी एवं लिपि देवनागरी होगी।
15. अनुच्छेद (350) – प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना।
16. अनुच्छेद (351) – हिन्दी भाषा का प्रोत्साहन तथा प्रचार–प्रसार
17. अनुच्छेद 344(1) – में 15 भाषाओं को राष्ट्रीय महत्व की भाषा घोषित किया गया आगे चलकर 7 भाषाएँ और जोड़ दी गई।

आकलन – शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करें।

- विद्यार्थियो के कक्षागत व्यवहार को शिक्षक को समझना होगा, किशोरो के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। शिक्षक को बच्चों के उनके सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भ से समझना होगा।

- शैक्षणिक संस्थाओं में निर्धारित की गई शैक्षणिक समितियों के मध्य आपसी संबंध स्थापित करना आवश्यक है। उनको अपने विभागों के कार्यों को समय प्रबंधन के अनुरूप पूर्ण करना आवश्यक है।
- बच्चों के प्रवेश न लेना, अनियमित उपस्थिति, शाला त्यागना आदि कारक शाला की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने में बाधा डालते है।
- शालेय पाठ्यक्रम को वार्षिक कैलेण्डर बनाकर शिक्षकों को नियमित रूप से योजना बनाकर पाठ्यक्रम को रूचिकर ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बच्चों के स्तर के अनुकूल बनाना होगा ताकि पाठ्यक्रम का उचित प्रबंधन हो सके।
- Learning outcome के अनुरूप कक्षा शिक्षण प्रक्रिया का संचालन करने में शिक्षक रूचि नहीं लेते। अतः शिक्षकों को नवाचारी शिक्षण प्रक्रिया हेतु उन्मुखीकृत करना है।
- Online Official Process - शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षिक एवं कार्यालयीन कार्यों का डिजिटल रूप दिया जा रहा है। इस हेतु शिक्षकों एवं कर्मचारियों को उन्मुखीकरण नहीं हो पाता एवं उनमें जागरूकता की कमी है।

शैक्षणिक संस्थाओं की निजीकरण की अधिकता

- मूल्य आधारित शिक्षा की कमी, बच्चों को विषय आधारित शिक्षण के साथ मूल्यों को विकसित करने हेतु प्रेरित किया जाए।
- शैक्षणिक संस्थाओं में शोध कार्यों की कमी है। शिक्षकों को शोध कार्य करने हेतु जागरूक करना। शोध कार्य हेतु उन्मुखीकरण की आवश्यकता है।
- शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत अकादमिक स्टाफ अन्य कर्मचारी की जावबदेही की कमी देखी जाती है। व्यवसायिकता की भावना को विकसित करना होगा।
- समस्त शैक्षिक, वित्तीय एवं प्रशासकीय कार्यों में पारदर्शिता होना आवश्यक है।
- शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन में कार्यों को सुचारू रूप से संचालन में विकन्द्रीकरण की कमी पाई जाती है।
- शैक्षणिक संस्थाओं के कार्यों को योग्यतानुसार विकेन्द्रिकृत किया जाए।

आकलन – शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन में कौन–कौन सी कठिनाईयाँ आती है।